

Roll No. :

Total No. of Questions : 11]

[Total No. of Printed Pages : 4

SLB-292

LL.B. II Year (Supplementary) Examination, 2022 ADMINISTRATIVE LAW

Paper - 2.8

(For Old Scheme Students Paper 2.7)

Time : 1½ Hours]

[Maximum Marks : 100

Section-A

(Marks : 2 × 10 = 20)

Note :- Answer all *ten* questions (Answer limit 50 words). Each question carries 2 marks.

(खण्ड-अ)

(अंक : 2 × 10 = 20)

नोट :- सभी दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा 50 शब्द)। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।

Section-B

(Marks : 7 × 5 = 35)

Note :- Answer all *five* questions. Each question has internal choice (Answer limit 200 words). Each question carries 7 marks.

(खण्ड-ब)

(अंक : 7 × 5 = 35)

नोट :- सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए (उत्तर-सीमा 200 शब्द)। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है।

Section-C

(Marks : 15 × 3 = 45)

Note :- Answer any *three* questions out of five (Answer limit 500 words). Each question carries 15 marks.

(खण्ड-स)

(अंक : 15 × 3 = 45)

नोट :- पाँच में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा 500 शब्द)। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है।

BI-195

(1)

SLB-292 P.T.O.

Section–A

(खण्ड–अ)

1. (i) Define Oral Hearing.
मौखिक श्रवण को परिभाषित कीजिए।
- (ii) On who hears must decide.
जो सुने वही निर्णय करे।
- (iii) Notice
सूचना
- (iv) What is Conditional Legislation ?
सशर्त विधायन क्या है ?
- (v) Define Personal Bias.
वैयक्तिक पक्षपात को परिभाषित कीजिए।
- (vi) What is Act of State ?
राज्य कृत्य क्या है ?
- (vii) Define 'Rule of Law'.
'विधि का शासन' को परिभाषित कीजिए।
- (viii) Writ of 'Mandamus'.
'परमादेश' रिट।
- (ix) Explain Appointment of Lokayukta.
लोकायुक्त की नियुक्ति का वर्णन कीजिए।
- (x) Explain 'Naptoism'.
'भाई-भतीजावाद' का वर्णन कीजिए।

Section-B

(खण्ड-ब)

2. Explain Writ of Prohibition.

प्रतिषेध रिट का वर्णन कीजिए।

Or

(अथवा)

Writ of 'Quo Warranto', explain.

'अधिकार पृच्छा की रिट' का वर्णन कीजिए।

3. What do you understand by 'Droit Administrative' ?

'ड्रॉयट एडमिनिस्ट्रेटिव' से आप क्या समझते हैं ?

Or

(अथवा)

Define Departmental bias with the help of cases.

विभागीय पक्षपात को वादों की सहायता से परिभाषित कीजिए।

4. Describe the causes and necessity for delegation of Legislative Power.

प्रत्यायोजित विधायन की आवश्यकता और कारणों का वर्णन कीजिए।

Or

(अथवा)

Distinguish between 'Court' and 'Tribunal'.

'न्यायालय' और 'अधिकरण' में अन्तर कीजिए।

5. Distinguish between sovereign functions and non-sovereign functions.

सम्प्रभु और असम्प्रभु शक्तियों में अन्तर कीजिए।

Or

(अथवा)

Explain the concept of legitimate expectation.

वैध प्रत्याशा की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।

6. Write a note on reasoned decision.

तर्कोनुमोदित निर्णय पर टिप्पणी लिखिए।

Or

(अथवा)

Explain the nature and scope of administrative law.

प्रशासनिक विधि की प्रकृति एवं विस्तार की विवेचना कीजिए।

Section-C

(खण्ड-स)

7. Define Administrative Discretion.

प्रशासनिक विवेक को परिभाषित कीजिए।

8. Explain the limits under which the legislature can delegates legislative power to executive.

जिन सीमाओं के अन्तर्गत विधायिका कार्यपालिका को विधायन बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है उसे स्पष्ट कीजिए।

9. Write a note on 'Lokpal'.

ओम्बड्समैन (लोकपाल) पर एक लेख लिखिए।

10. Explain principles of Natural Justice.

नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।

11. Write a note on Writ Jurisdiction of High Court and Supreme Court.

सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकारिता पर एक लेख लिखिए।